

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 561 / 2008  
संस्थान दिनांक 15.12.2008

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

गुलाब उर्फ गुलाम हमीद पिता गुलाम अजीज  
आयु 45 वर्ष, निवासी- पंचायती बाड़ी राजपुर  
तहसील राजपुर, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

**(आज दिनांक 29.12.2015 को घोषित )**

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 250 / 2000 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304-ए भा0द0सं0 में दिनांक 15.12.2008 को प्रस्तुत अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 17.09.2008 को समय प्रातः लगभग 4:30 बजे लोक मार्ग ए.बी. रोड़ खुरमपुरा गाँव में वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 18 एम. 7769 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न करने, ट्रेक्स को टक्कर मारकर उसमें सवार फरियादीगण रिजवान, राहुल, रामचरण, राजकिशोर, संजय, सुखलाल, मानपाल, शिवम्, सुनिल एवं हुकुमलाल को उपहति कारित करने, फरियादीगण फरीद, मनोज, अमल एवं संदीप को घोर उपहति कारित करने तथा उक्त वाहन से ट्रेक्स को टक्कर मारकर उसमें सवार आबिद, चंपालाल, एकराम तथा प्रशांत की ऐसी मृत्यु कारित करने, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में धारा 279, 337, 338, 304-ए के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 17.09.2008 को रात्रि लगभग 01:15 बजे फरियादी राहुल दैनिक भास्कर पेपर वाहन ट्रेक्स क्रमांक एम.पी. 43 ई. 2278 में बैठकर तथा अन्य लगभग 17 व्यक्ति वाहन में सरवटे बस स्टेण्डइन्दौर से बैठकर सेधवा आ रहे थे कि लगभग 4:30 बजे प्रातः उनका वाहन खुरमपुरा गाँव में पहुँचा कि जुलवानिया की ओर से एक ट्रक क्रमांक एम.एच. 18 एम. 7769 का चालक ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उनके ट्रेक्स वाहन में सामने से टक्कर मार दी जिससे फरियादी राहुल को कमर, नाक एवं सिर में चोटें आई तथा वाहन में बैठी अन्य सवारियों को भी चोटें आई तथा ट्रेक्स वाहन को भी नुकसान हुआ। फरियादी राहुल सभी आहतों को लेकर ईलाज हेतु अस्पताल आया। पुलिस ने फरियादी राहुल द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अपराध क्रमांक 250/2008 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0द0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी राहुल की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया। पुलिस ने वाहन ट्रक को घटनास्थल से तथा अभियुक्त के पेश करने पर वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर जप्ती पंचनामों बनाये तथा पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। पुलिस ने चिकित्सक द्वारा आहतगण के एक्सरे में अस्थि भंग होना पाये जाने तथा दुर्घटना में शेष आहतों की चिकित्सा के दौरान मृत्यु होने पर अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304—ए भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304—ए भा0द0सं0 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है ।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.09.2008 को समय प्रातः लगभग 4:30 बजे लोक मार्ग ए.बी. रोड़ खुरमपुरा गाँव में वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 18 एम. 7769 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर ट्रेक्स को टक्कर मारकर उसमें सवार फरियादीगण रिजवान, राहुल, रामचरण, राजकिशोर, संजय, सुखलाल, मानपाल, शिवम्, सुनिल एवं हुकुमलाल को उपहति कारित की ?
  3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर ट्रेक्स को टक्कर मारकर उसमें सवार फरियादीगण फरीद, मनोज, अमल एवं संदीप को घोर उपहति कारित की ?
  4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर ट्रेक्स को टक्कर मारकर उसमें सवार आबिद, चंपालाल, एकराम तथा प्रशांत की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?
6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में मनोज दवाने (अ.सा.1), राहुल (अ.सा.2) एवं रिजवान (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 व 4 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, इस संबंध में फरियादी मनोज दवाने (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि वह उपस्थित अभियुक्त को नहीं जानता है। लगभग 5-6 वर्ष पूर्व वह चार पहिया वाहन से इन्दौर से सेंधवा जा रहा था। उसे वाहन का क्रमांक याद नहीं है। रात्रि लगभग 5 बजे खुरमपुरा में उनके वाहन को सामने से किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी जिसे उसे गर्दन में चोट आई थी। घटना के समय अन्य व्यक्ति भी उक्त वाहन में बैठे थे। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार कर उनके वाहन को टक्कर मारी और उसमें पुलिस को प्रदर्शपी 1 के कथन में ट्रक क्रमांक एम.एच. 18 एम. 7769 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर ट्रेक्स वाहन को सामने से टक्कर मारने की बात बताई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय ट्रेक्स में सवारियों सो रही थी तब वाहन के लहराने पर वे जागे थे। टक्कर मारने वाला वाहन किस गति से आ रहा था। उनके ट्रेक्स का चालक वाहन को किस गति से चला रहा था यह भी नहीं देखा था। उसने ट्रक का क्रमांक नहीं देखा था और उसने प्रदर्शपी 1 के ए से ए भाग की बात नहीं बताई थी।

9. राहुल असा 2, रिजवान असा 3 ने भी दैनिक भास्कर के पेपर वाहन में बैठकर आने और वाहन की दुर्घटना ट्रक से होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि दुर्घटना में उन्हें चोंटें आई थी। राहुल असा 2 ने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि उनके पेपर वाहन को ट्रक क्रमांक एम.एच. 18 एम. 7769 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर टक्कर मारी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को कोई कथन देने से भी इंकार किया है। रिजवान असा 3 ने भी अभियोजन के इस सुझाव को इंकार किया कि उसने पुलिस को अपने कथन प्रदर्शपी 3 में ट्रक का क्रमांक एम.एच. 18 एम. 7769 बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रेक्स वाहन चालक भी उसके वाहन को तेज गति से चला रहा था।

10. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि सभी साक्षियों के जमानती वारंट एवं समस भेजे जाने के उपरांत भी अभियोजन की ओर से किसी अन्य साक्षियों को उपस्थित नहीं रखा गया है तथा प्रकरण पुराना होने के कारण साक्ष्य समाप्त की गई। उपस्थित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उक्त ट्रक क्रमांक को तेज गति या लापरवाही से चलाकर उसकी टक्कर उनके ट्रेक्स वाहन को मारने तथा उसमें बैठी सवारियों को उपहति एवं घोर उपहति कारित की तथा उसमें सवार आबिद, चम्पालाल, एकराम एवं प्रशांत की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 279, 337, 338, 304—ए भा.द.स. का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त गुलाब उर्फ गुलाम हमीद के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित चारों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतः अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुये धारा 279, 337, 338, 304—ए भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच. 18 एम. 7769 दिनांक 01.10.2008 को उसके पंजीकृत स्वामी ज्ञानेश्वर पिता भीलामी सिरसाठ, निवासी— खेतिया जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गयी है, उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी